रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 14, 1972/चैत्र 25, 1894
No. 115] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 14, 1972/CHAITRA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 14th April 1972

G.S.R. 244(E)/Ess.Com/Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and clause 6 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Restrictions on Movement) Order, 1972, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Restrictions on Movement) Third Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 2 of the Sugar (Restrictions on Movement) Order, 1972, after the words "any sugar", the words "produced by vacuum pan process" shall be inserted.

[No. 1-1/72-SPY.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1972

सा०का०नि० 244(अ)/अ०आ०/शर्करा.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 तथा शर्करा (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा शर्करा (संचलन पर निर्बन्धन) आदेश, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश शर्करा (संचलन पर निर्बन्धन) तृतीय संशोधन आदेश, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. शर्करा (संचलन पर निर्बन्धन) आदेश, 1972 के खण्ड 2 में "शर्करा" शब्द से पूर्व "।।५।।। कढ़ाई प्रक्रिया द्वारा उत्पादित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 1-1/72-श०नि०]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972